न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 26 / 2019 **दायरा दिनांक : 04.02.2019**

उनवान

धनराज पुत्र रामकरण, जाति मीणा, निवासी ग्राम सोकन्दा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– बृजमोहन दत्तक पुत्र कालू उर्फ काल्या, जाति मीणा, निवासी ग्राम सोकन्दा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2– उर्मिला बाई पत्नी बृजमोहन, जाति मीणा, निवासी ग्राम सोकन्दा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3– कमलेश पुत्र बृजमोहन, जाति मीणा, निवासी ग्राम सोकन्दा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4– कल्याणी बाई पुत्री कालू उर्फ काल्या पत्नी रामकरण, जाति मीणा, निवासी प्रेमपुरा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा

5– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 55 / 2019 **दायरा दिनांक : 15.04.2019**

उनवान

कल्याणी बाई उम्र 70 वर्ष पुत्री काल्या उर्फ कालू लाल पत्नी रामकरण, जाति मीणा, निवासी सोकन्दा, तहसील मांगरोल हाल निवासी प्रेमपुरा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा

.... अपीलांट

बनाम

1– धनराज पुत्र रामकरण, जाति मीणा, निवासी ग्राम सोकन्दा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

2– बृजमोहन दत्तक पुत्र कालू उर्फ काल्या, जाति मीणा, निवासी ग्राम सोकन्दा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3– उर्मिला बाई पत्नी बृजमोहन, जाति मीणा, निवासी ग्राम सोकन्दा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4– कमलेश पुत्र बृजमोहन, जाति मीणा, निवासी ग्राम सोकन्दा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

5– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

..... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री अशोक कुमार गुप्ता एवं वाई. एस. भटनागर अभिभाषक अपीलांट

की ओर से

श्री कमलदीप सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 24.03.2021**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 45/2013 निर्णय दिनांक 24.01.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील संख्या 26/2019 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी के कब्जे एवं काश्त की आराजी ग्राम भटवाडा, तहसील मांगरोल, में स्थित है जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 19 रकबा 4.59 हेक्टर वाके ग्राम माल भटवाडा में है और वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार प्रार्थी के पिता काबिज खातेदार रहे हैं तथा उनकी मृत्यु उपरान्त अपीलांट उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है । मृतक काल्या उर्फ कालू के कोई औलाद नहीं थी उसने अपने जीवनकाल में बृजमोहन पुत्र रामकरण को दत्तक पुत्र बना लिया था और नियमानुसार वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट नम्बर

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी

1 लगायत 3 के खाते दर्ज हुई थी तथा वादग्रस्त आराजी का आपस में बंटवारा कर लिया मुताबिक बंटवारा ग्राम सोकन्दा की आराजी पर काल्या उर्फ कालू काश्त करते थे और ग्राम भटवाडा की आराजी पर रामकरण काश्त करता था । रामकरण के बाद उनका एक मात्र पुत्र होने के कारण काश्त करता चला आ रहा है इस प्रकार ग्राम सोकन्दा की आराजी रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 के नाम दर्ज है तथा ग्राम भटवाडा की आराजी रामकरण एवं काल्या के नाम दर्ज है । चूंकि दोनों ने मौखिक बंटवारा किया था इसलिए राजस्व रेकार्ड में रामकरण के नाम एकल रूप से दर्ज नहीं हो सकी इसलिए संयुक्त रूप से वादग्रस्त आराजी दर्ज चली आ रही है इस पर अपीलांट की ओर से घोषणा का वाद पत्र पेश किया जिसके साथ धारा 212 आर बी ए का आवेदन पेश किया तिाि न्यायालय में यह प्रार्थना की अपीलांट को वादग्रस्त आराजी में काश्त करने में दखलन्दाजी ना करें तथा रहन, बेचान आदि ना करें तथा साथ ही रेस्पोडेंट नम्बर 4 की ओर से एक काउंटर क्लेम भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश हुआ जिसमें सम्पत्ति के सम्बन्ध में तहसीलदार मांगरोल को रिसीवर नियुक्त करने की प्रार्थना चाही जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिनांक 24.01.2019 को आदेश पारित किया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश आर्बीट्रेरी, केप्रिशियस तथा पर्वस है तथा कानूनी सिद्धांतों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने गैर कानूनी रूप से नामान्तरकरण के सम्बन्ध में आदेश पारित किया जो त्रुटिपूर्ण है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है । पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम मीणा जाति पर लागू नहीं होता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.01.2019 अपास्त किया जावे ।

अपील संख्या 55/2019 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट कम 1 वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश करके अपीलांट अप्रार्थी कम 4 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गई । आराजी खसरा नम्बर 19 रकबा 4.59 हेकटर वाके ग्राम भटवाडा, तहसील मांगरोल वर्तमान राजस्व रेकार्ड के अनुसार काल्या, रामकरण पुत्रगण भंवर लाल मीणा निवासी सोकन्दा के नाम दर्ज हो रही है । काल्या व रामकरण दोनों की मृत्यु हो चुकी है । काल्या की

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

एक मात्र पुत्री अपीलांट व रामकरण के धनराज, बृजमोहन व तीन चार पुत्रियां हैं जिनको अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट कम 1 ने पक्षकार नहीं बनाया है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 19 रकबा 4.59 हेक्टर की खातेदारी की घोषणा वादी रेस्पोडेंट कम 1 अपने पक्ष में कराना चाहता है । अपीलांट अप्रार्थी कम 4 ने काउंटर क्लेम का जवाब पेश किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया एवं अपीलांट का काउंटर क्लेम प्रार्थना पत्र बाबत नियुक्त किये जाने रिसीवर आराजी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 19 रकबा 4.59 हेक्टर पर तहसीलदार मांगरोल को मूल वाद के निर्णय तक रिसीवर कायम किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र प्रार्थी व काउंटर क्लेम अप्रार्थी नम्बर 4/अपीलांट खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि आदेश एवं निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के विपरीत है । वादग्रस्त आराजी ग्राम सोकन्दा की खसरा नम्बर 19 रकबा 4.59 हेक्टर में खातेदार काल्या, रामकरण पुत्र भंवर लाल मीणा दर्ज हैं । दोनों खातेदार काल्या एवं रामकरण फौत हो चुके हैं लेकिन वादग्रस्त का फोती इंतकाल अपीलांट व रेस्पोडेंट के नाम नहीं खुला । अपीलांट के पिता काल्या उर्फ कालू लाल 1/2 हिस्से के खातेदार थे इस तथ्य पर अधीनस्थ न्याालय ने कतई गौर न करके त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया वादग्रस्त आराजी "इनमीडियो" है, शामलाती खाते में कल्याण व रामकरण के नाम दर्ज हो रही है । इस परिस्थिति में आराजी पर रिसीवर की नियुक्ति किया जाना न्याय संगत होता, जिससे अपीलांट की आराजी की सुरक्षा निश्चित होती व अपीलांट को आर्थिक नुकसान नहीं होता । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 19 रकबा 4.59 हेक्टर वाके ग्राम भटवाडा पर रिसीवर नियुक्त न किए जाने की स्थिति में अपीलांट की आराजी 1/2 हिस्सा को रेस्पोडेंट नम्बर 1 बलपूर्वक काश्त करने लगेगा तथा आराजी भी सुरक्षित नहीं रहेगी अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.01.2019 अपास्त किया जावे।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड ग्राम भटवाडा की वादग्रस्त आराजी किसी भी पक्ष के खाते दर्ज नहीं है उक्त वादग्रस्त आराजी पूर्व खातेदारों के नाम दर्ज चली आ रही है। अप्रार्थिया कम 4 काल्या उर्फ कालू लाल की इकलौती पुत्री है। इस बात को अपीलांट प्रार्थी धनराज ने अपने प्रार्थना पत्र में सजरा बनाकर स्वीकार किया है। काल्या द्वारा लिखा गया दस्तावेज प्रार्थी अपीलांट धनराज के पक्ष में हो, पेश नहीं किया गया है, जिससे यह कहा जा सके कि ग्राम भटवाडा की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 19 रकबा 4.54 हेक्टर प्रार्थी अपीलांट धनराज के पास रहेगी। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस बनना नहीं पाया जाता है जब प्रथम दृष्टया केस ही नहीं पाया जाता है तो अन्य दो बिन्दु अपूरर्णीय क्षति व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलांट (अपील संख्या 26/2019) के पक्ष में ग्राम भटवाडा की आराजी खसरा नम्बर 19 रकबा 4.54 हेक्टर पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं माना है, जो विधि सम्मत है। अपील संख्या 55/2019 में अपीलांट कल्याणी बाई वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त करवाना चाहती है लेकिन अपीलांट कल्याणी बाई द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे अप्रार्थी नम्बर 1 धनराज ने लड़ाई–झगड़ा किया हो या काश्त करने नहीं दी हो। वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त करना एक कठोरतम उपाय है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी पर रिसीवर नियुक्त करना उचित नहीं माना है, जो विधि सम्मत है। जहां तक नामान्तरकरण का प्रश्न है यह एक फिजिकल प्रोसेसिंग है इससे वादग्रस्त आराजी में अधिकार तय नहीं होते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 26/2019 एवं 55/2019 खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.01.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा